

W7/210

अनुसूची - IV फॉर्म सं०- 662

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश पत्र-ता०-

सं०-.....तक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ से

रान-20.....

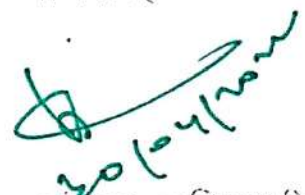
केस का प्रकार - विविध वाद 30/2022-23

विषय - "Online पंजी II में त्रुटि निराकरण"

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
08.03.22	आवेदक श्री / श्रीमती <u>राजेश कुमार महते</u> पिता- <u>सुधीर महते</u> निवासी- <u>रामनगर</u>, ग्राम पंचायत - <u>बुधौरा</u>, थाना- <u>नीमडीह प्रखण्ड- नीमडीह</u> के द्वारा मौजा - <u>रघुनाथपुर</u> थाना सं०- <u>288</u>, खाता सं०- <u>319</u>, खेसरा सं०- <u>1653</u> एवं अन्य खेसरा में सुधार हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में अभिलेख संधारित की गई। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से उक्त मामले की स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से स्पष्ट मंत्यव के साथ समर्पित करे। अभिलेख दिनांक- <u>08/13/2022</u> को उपस्थापित करे। 16.04.22 <u>अचल अधिकारी</u> नीमडीह	
16.04.22 30.04.22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अवलोकन किया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- <u>रघुनाथपुर</u> थाना सं०- <u>288</u>, खाता सं०- <u>319</u>, खेसरा सं०- <u>1653</u> रकबा <u>0.10 ए०</u> कुल रकबा- <u>0.10 ए०</u> है। हल्का कार्यालय में संधारित मौजा- <u>रघुनाथपुर</u> से संबंधित पंजी II में Vol-I पृष्ठ सं०- <u>339/का</u> जाँच किया, जिसमें पाया कि खेसरा सं०- <u>1653</u> कुल रकबा- <u>0.10 ए०</u> में से ना० मु० सं०- <u>MCN0-1047/82-83</u> के द्वारा कुल रकबा- <u>0.10 ए०</u> दिनांक-	

को राजस्व उपनिरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में ऑनलाईन त्रुटि निराकरण करे।

अतः उक्त अनुशंसा के आधार पर विभागीय पत्राक--5239/रा0 दिनांक--30.07.2017 के कण्डिका 4(iii) के अक्षरशः अनुपालन करते हुए ऑनलाईन पंजी--II के सुधार हेतु आदेश निर्गत करे।



अंचल अधिकारी
नीमडीह

01.2022